राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उप0। आरोपीगण सहित श्री योगेन्द्र जैन अधि0 उप0। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतू नियत है।

प्रकरण में फरियादी, आहतगण व आरोपीगण से माध्यस्थम एवं सुलह कार्यवाही के संबंध में बताया जाकर इसके लाभ के बारे में बताए जाने पर उभयपक्ष द्वारा यह व्यक्त किया कि वे सुलह वार्ता करने हेतु तैयार है।

अतः उभयपक्ष की सहमित से प्रकरण में माध्यस्थम कार्यवाही संपादित कराने हेतु श्री आसिफ अहमद अब्बासी, जे.एम.एफ.सी चंदेरी जिला अशोकनगर के न्यायालय में पृथक से रेफरल ऑर्डर प्रेषित किया जावे तथा इसकी एक सूचना जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जावे।

उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं/अपने अधिवक्ताओं सहित संबंधित न्यायालय में माध्यस्थम की चर्चा हेत् उपस्थित रहें।

प्रकरण माध्यस्थम रिपोर्ट प्राप्ति हेतु कुछ देर पश्चात पेश हो।

> साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

## पुनश्चः

उभयपक्ष पूर्ववत।

संबंधित न्यायालय से माध्यस्थम रिपोर्ट प्राप्त। रिपोर्ट के अनुसार उभयपक्ष के मध्य माध्यस्थम व सुलह की कार्यवाही सफल हुई हैं।

इसी प्रक्रम पर फरियादी पवन एवं आहतगण शांतिबाई, रघुवीर, मृतक बाबूलाल की ओर से उनकी पत्नी शांतिबाई द्वारा एक राजीनामा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 320(4) द०प्र०स० तथा फरियादी, आहतगण व आरोपीगण द्वारा संयुक्त रूप से एक राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(8) द०प्र०स० प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि उभयपक्ष आपस में हिल—मिलकर रहना चाहते है व भविष्य में उभयपक्ष के मध्य मधुर संबंध बने रहे, इसलिये बिना किसी डर, भय, दबाब लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा हो गया है। अतः राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया

> आवेदन पत्र पर सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभिलेख से प्रकट है कि आरोपीगण पर भा.द.स. की धारा 294, 341, 325 / 34, 323 / 34 तीनबार, 506 भाग दो अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है, जिसमें से धारा 341, 323 / 34 तीनबार भा0द0वि0 न्यायालय की अनुज्ञा के बिना शमनीय है एवं धारा 294, 325 / 34, 506 भाग दो न्यायालय की अनुज्ञा से शमनीय है। फरियादी पवन एवं आहतगण शांतिबाई, रध ावीर एवं मृतक बाबुलाल की ओर से उसकी पत्नी शांतिबाई ने बताया कि आरोपीगण शिवराज, रविन्द्र, जीतू से उसका राजीनामा हो गया, अब उसके मध्य कोई विवाद शेष नही है। उनके मध्य मध्र संबंध हो गये हैं। राजीनामा उसने स्वेच्छा, बिना किसी भय, दबाव, लोभ या लालच के किया है। आरोपीगण के विरूद्व पूर्व दोषसिद्ध का तथ्य अभिलेख पर नहीं है तथा राजीनामा विधि के प्रतिकूल नहीं है। फरियादी, आहतगण एवं आरोपीगण की पहचान श्री योगेन्द्र जैन अधि. ने की। आहत शांतिाबई के राजीनामा कथन लेखबद्ध किये गये।

अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर धारा 294, 341, 325/34, 323/34 तीनबार, 506 भाग दो भा.द.स. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के शमन की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामे के आधार पर आरोपीगण शिवराज पुत्र बाबूलाल, रिवन्द्र पुत्र शिवराज, जीतू पुत्र शिवराज निवासीगण ग्राम अमरोद थाना पिपरई जिला अशोकनगर म0प्र0 को भा०द०स० की धारा 294, 341, 325/34, 323/34 तीनबार, 506 भाग दो के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 3 बांस की लाठिया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विहित समयाविध में अभिलेखागार भेजा जावे।

> साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0